480

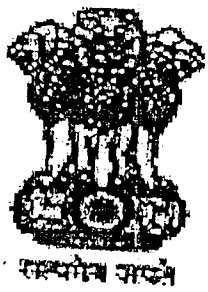

सत्यमेव जयते

MANUAL

IMPLEMENTATION OF BLOCK LEVEL CLUSTER PROJECTS UNDER NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT PROGRAMME (NHDP) &COMPREHENSIVE HANDLOOM CLUSTER DEVELOPMENT SCHEME(CHCDS)-MEGA CLUSTER

OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS
MINISTRY OF TEXTILES
GOVERNMENT OF INDIA
UDYOG BHAWAN, NEW DELHI

CONTENTS

S. No.	Subject	Language	Page No.
1	Guidelines of Block Level Cluster	Hindi	1-4
		English	36-41
2.	Operational guidelines for implementation of Block Level Cluster	Hindi	7-11
		English	42-47
	Annexures		
1	Annexure-I (Guidelines for Skill upgradation)	Hindi	12-13
		English	48-49
2	Annexure-II (Cost estimate and Plan layout of Common Facility Centre)	Hindi	14-17
		English	50-53
3	Annexure-III (Format for getting profile of Implementing Agency)	Hindi	18-19
		English	54-55
4	Annexure-IV (Format for conducting Baseline Survey)	Hindi	20-21
		English	56-57
5	Annexure-V (Format for conducting Diagnostic Study and submission of Action Plan)	Hindi	22-28
		English	58-64
6	Annexure-VI (Format for Score pattern for grading of NGOs)	Hindi	29
		English	65
7	Annexure-VII (Inviting Expression of Interests for engaging Textile Designer in the Block Level Cluster)	Hindi	30-35
		English	66-72

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर संकल्पना

(1) **क्लस्टर विकास कार्यक्रम**

क्लस्टर विकास संकल्पना में एक दृष्टव्य संस्था के रुप में बुनकर समूहों के गठन पर वल दिया गया है ताकि ये समूह स्व-संपोषणीय बन सके। हथकरघा बहुल ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी । हथकरघों की संख्या के संबंध में आवश्यकता के आधार पर एक ब्लॉक में एक से अधिक क्लस्टरों की स्थापना की जा सकती है ।

(2) **नए क्लस्टरों के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा**

प्रत्येक क्लस्टर के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा क्लस्टर की आवश्यकता, क्लस्टर विकास परियोजना में शामिल क्रिया-कलापों के दायरे, ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर आधारित संगठन की तकनीकी वित्तीय व प्रबंधकीय क्षमता, परिपक्वता के स्तर, क्लस्टर के पूर्व रिकार्ड इत्यादि के आधार पर होगी। भारत सरकार की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रति क्लस्टर इस प्रकार होगी :-

हथकरघों बहुत ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर	प्रति ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक

(1) **बुनियादी सर्वेक्षण, नैदानिक अध्ययन, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त जवाबदेह समूहों (जेएलजी) का** गठन कंसोर्शियम का गठन, जगरूकता कार्यक्रम

(i) **बुनियादी सर्वेक्षण**

क्लस्टर का प्रोफाइल तैयार करने अर्थात् सक्रिय हथकरघों की संख्या, हथकरघों की किस्में, बुनकरों की संख्या (महिला/पुरुष-सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक आदि), प्रयुक्त यार्न की किस्म, उत्पाद की रेंज, बुनकर की औसत आय इत्यादि के लिए बुनियादी सर्वेक्षण में क्लस्टर के प्रत्येक बुनकर से मिलना आवश्यक होगा ।

(ii) **नैदानिक अध्ययन**

कोई भी कार्यान्वियन योग्य कार्रवाई योजना शुरू करने के लिए क्लस्टर का नैदानिक अध्ययन पहला कदम है। इससे उन शक्तियों, कमजोरियों, वातावरण का पता लगाने में मदद मिलेगी जिसमें वह क्लस्टर कार्य करता है तथा सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए क्याँ रणनीतिक कदम उठाए जाने की जरूरत है, इसमें भी सहायता करेगा । नैदानिक अध्ययन, वह रणनीतिक दिशा और संभावित परिणाम प्रदान करेगा जिसे क्लस्टर एक निश्चित समयावधि में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं । सही-सही कार्रवाई-योग्य विन्दु, क्लस्टर कार्यकर्ताओं के विश्वास निर्माण और वैधीकरण पर काफी हद तक निर्भर करेंगे । नैदानिक अध्ययन का उद्देश्य जिस वर्तमान परिदृश्य में क्लस्टर में हथकरघे काम कर रहे हैं उसे समझना और उसका विश्लेषण करना अर्थात् कारोबार से संबंधित कार्यो, उत्पादन क्रिया-कलापों की प्रकृति, उत्पादों की प्रोफाइलिंग, उत्पादन की पद्धति और इसके लिए वर्तमान विपणन संभावना का विश्लेषण करना है।

(iii) <u>कंसोर्शियम का गठन</u>

कंसोर्शियम में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), सहकारी सोसाइटियों से स्टेक-होल्डर, मास्टर बुनकर, प्राइवेट उद्यमी, एनजीओ आदि शामिल होंगे जिनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे बुनकरों के साथ चर्चा करें और बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं, विपणन संस्थाओं/विपणन विशेषज्ञों, मार्केटर कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी तंत्र, बुनकरों आदि के साथ संपर्क स्थापित करें।

(iv) <u>जागरुकता कार्यक्रम</u>

बुनकरों में इस योजना, बुनकर क्रेडिट कार्ड,यार्न पास बुक तथा अन्य हथकरघा योजनाओं इत्यादि के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए क्लस्टर में जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

(v) <u>उत्पाद विकास</u>

समय के साथ मार्केट में बने रहने के लिए हथकरघा उत्पादों का नवोन्मेष करने के लिए उत्पादों को विकसित/ विविधीकृत किए जाने की जरूरत है। पेपर डिजाइन तैयार करने के लिए लेखन सामग्री, प्रोटोटाइप के विकास के लिए कच्चे माल की खरीद, कपड़े पर पेपर डिजाइन स्थानांतरित करने की लागत इस घटक के तहत पूरी की जाएगी।

(vi) <u>कम्प्यूटर समर्थित वस्त्र डिजाइन (सीएटीडी) प्रणाली की खरीद</u>

नए डिजाइन विकसित करने के लिए कंप्यूटर समर्थित वस्त्र डिजाइन प्रणाली, रंग पूर्वानुमान, प्रवृत्ति पूर्वानुमान और अन्य संबद्ध जरूरतों के लिए अपेक्षित हार्डवेयर/साफ्टवेयर, की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(vii) <u>क्लस्टर क्रियाकलापों का प्रलेखन</u>

क्लस्टर विकास कार्यक्रम की समाप्ति के बाद किए गए क्रियाकलापों का प्रलेखन अनिवार्य है ताकि एक रिकार्ड रखा जा सके।

(4) <u>ऑन-लूम क्रियाकलापों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन</u>

हथकरघा बुनकरों/कामगारों के परिश्रम की कठोरता को कम करने के लिए और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों को जरूरत के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा । संभावित प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों की एक उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार है:-

घटक		लागत
प्रौद्योगिकी उन्नयन		
क)	4 घटक हथकरघों के एक सेट के लिए पर न्यूमेटिक जैकार्ड प्रणाली	40,000/-रुपये
ख)	मौजूदा हथकरघों पर मोटरयुक्त जैकार्ड	15,000/- रुपये
ग)	मौजूदा हथकरघों पर टेक-अप एवं लेट-ऑफ मोशन (लगाने के प्रभारों सहित)	5,000/- रुपये
घ)	बहुप्रयोजनीय बॉक्स मोशन	3,000/- रुपये

ड.)	विविध बूटी बुनाई स्ले	7,000/- रुपये
च)	दोहरी बुनाई प्रणाली (लगाने के प्रभारों सहित)	5,000/- रुपये
छ)	जैकार्ड का पूरा सेट (लगाने के प्रभारों सहित)	15,000/- रुपये
ज)	डॉबी	5,000/- रुपये
झ)	हील्ड,रीड, बोबिन, शटल इत्यादि (सेट)	4,000/- रुपये
ञ)	फ्रेम लूम क) 60" तक ख) 60" से अधिक	 25,000/- रुपये 40,000/- रुपये
ट)	लाइटिंग यूनिट की लागत	3500/-प्रति यूनिट से 14,500/- प्रति यूनिट (माडल के अनुसार यूनिटों की लागत अलग-अलग हो सकती है)

(5) <u>कार्यशाला का निर्माण</u>

कार्यशाला के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के मानकों के आधार पर 20 वर्ग मीटर आकार की प्रति कार्यशाला के लिए 70,000/- की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि –अन्तरित की जाएगी। इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर निधियां जारी की जाएगी। हिस्सेदारी की पद्धति:

बीपीएल/एससी/एसटी/महिला- भारत सरकार का द्वारा 100%

अन्य- भारत सरकार का द्वारा 75% और लाभार्थी द्वारा 25%

(6) <u>वस्त्र डिजाइनर-सह-विपणन कार्यकारी की नियुक्ति</u>

संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा डिजाइन विकसित किए जाएंगे। तथापि, क्लस्टरों द्वारा ब्लॉकों में डिजाइनों की मांग को देखते हुए, एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से निफ़्ट, डिजाइनरों और प्रावइवेट डिजाइनरों को अनुबंधित करके डिजाइन उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमें फैशन सहित गतिशील बाजार की चुनौतियों की पूर्ति के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, दोनों के लिए डिजाइन प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से विकसित नए उत्पादों को विभिन्न विपणन माध्यमों से बढ़ावा दिया जाएगा। क्लस्टरों में लगाए गए प्राइवेट डिजाइनरों की जवाबदेही तय करने के लिए संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र के प्रभारी की अगुवाई में स्थानीय स्तर पर एक समिति, जिसमें राज्य सरकारों, निफ्ट, एनएचडीसी, राज्य हथकरघा निगमों/शीर्ष सोसाइटियों तथा अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य प्रतिनिधि होगा, द्वारा उनके डिजाइनों की सफलता का मूल्यांकन और निगरानी की जाएगी।

(7) <u>यार्न डिपों की स्थापना के लिए कारपस निधि</u>

वर्तमान में, बुनकर/एजेंसी को यार्न की खरीद के लिए अग्रिम धनराशि का भुगतान राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को किया जाता है और एनएचडीसी द्वारा करीब 3-4 सप्ताह की समय–सीमा के भीतर यार्न की

आपूर्ति करनी होती है इससे उत्पादन प्रक्रिया में विलंब होता है। अत: अपेक्षित काउंट के यार्न की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5 लाख रुपये प्रति क्लस्टर तक की एक बारगी वित्तीय सहायता एनएचडीसी को बतौर कॉरपस निधि प्रदान की जाएगी ताकि बुनकरों को क्लस्टर पर यार्न डिपो के माध्यम से यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यार्न डिपो द्वारा भुगतान के एवज में बुनकरों को यार्न की आपूर्ति की जाएगी।

(8) <u>कौशल उन्नयन</u>

तकनीकी और प्रबंधकीय क्षेत्रों, आईटी में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक ब्लॉक में क्लस्टर के लिए कौशल उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न घटकों के लिए अनुमोदित लागत मानकों के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी अनुमति होगी ताकि क्लस्टर की विशेष जरुरतों की पूर्ति हो सके। इस प्रशिक्षण की अवधि विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा अनुमोदित की जाएगी। उदाहरणात्मक कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(9) <u>साझा सुविधा केन्द्र की स्थापना</u>

एक ब्लॉक में अधिकतम 50.00 लाख रुपये (एक साझा सेवा केन्द्र सहित) भूमिका लागत को छोड़कर करीब 3000 वर्गफुट क्षेत्र वाले साझा सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक कार्यालय, इंटरनेट सुविधा, सुविधा कक्ष, स्टोर कक्ष, छोटी रंगाई इकाई, वार्पिंग अनुभाग, प्रशिक्षण केन्द्र, यार्न गोदाम इत्यादि शामिल होंगे। ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। यह सुविधा अभिज्ञात ब्लॉक में उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना में कमियों की पूर्ति करके भी स्थापित की जा सकती है।

(10) <u>परियोजना प्रबंधन लागत</u>

एक पूर्णकालिक क्लस्टर विकास कार्यकारी की नियुक्ति की जाएगी जो हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएचटी) धारक होना चाहिए, जिसे अधिमानत: 2 वर्षों के कार्य का अनुभव होना चाहिए। वह क्लस्टरके सीएफसी सहित सभी क्रिया-कलापों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही सीएफसी के लिए एक सुरक्षा-सह-सहायक (सीडीई की सहायता के लिए) नियुक्त किया जाएगा, अधिमानत: भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए, जिसे लेखाओं इत्यादि के रख-रखाव के लिए कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए।

(11) **कार्यान्वयन एजेंसियां इस प्रकार हैं :-**

1. राज्य हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय/ उद्योग निदेशालय (जहां पर हथकरघा उनके नियंत्रणाधीन है)
2. राज्य हथकरघा विकास निगम
3. राज्य शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियां
4. केन्द्र सरकारी संगठन
5. हथकरघा कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठन (राज्य सरकार द्वारा संस्तुत और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा अनुमोदित)। गैर-सरकारी संगठनों की ग्रेडिंग का एक फार्मेट <u>अनुबंध- VI</u> में है। कुल 100 अंकों में से न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन पर ही विचार किया जाएगा।

6. प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटी और स्वयं सहायता समूह, जो विधिक संस्था के रुप में पंजीकृत हों।
7. हथकरघा कार्य में लगी अन्य विधिक संस्था (राज्य सरकार द्वारा संस्तुत और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा अनुमोदित)

(12) <u>अवधि</u>

कार्यान्वयन क्लस्टर की अवधि पहली किस्त की स्वीकृति की तारीख से 3 वर्ष की है।

(13) <u>प्रस्ताव प्रस्तुत करना।</u>

राज्य सरकार राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी) की सिफारिश के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और धनराशि संबंधित राज्य सरकार को सूचित करते हुए सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्म अनुबंध - III, IV और V में दिया गया है।

(14) <u>वित्तीय सहायता जारी करना</u>

निधियां भारत सरकार के कुल अंश की दो किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त अग्रिम जारी की जाएगी और दूसरी किस्त पहली किस्त कते 70% का उपयोग प्रमाण पत्र वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। व्यक्तिगत बुनकरों को लाभ प्रदान करने वाले व्यक्तिगत हस्तक्षेपों के संबंध में वित्तीय सहायता कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जारी की जाएगी।

(15) <u>वित्त-पोषण पद्धति</u>

(i) अवसंरचना के लिए भारत सरकार द्वारा 100% वित्त-पोषण किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि प्रदान की जाएगी।
(ii) अन्य व्यक्तिगत प्रत्यक्ष लाभ- 90:10 (भारत सरकार: लाभार्थी)
(iii) कार्यशाला-बीपीएल/एससी/एसटी/महिलाएं-100 % भारत सरकार द्वारा
अन्य- 75% भारत सरकार द्वारा: 25% लाभार्थी द्वारा

(16) <u>राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी)</u>

राज्य स्तरीय परियोजना समिति में राज्य आयुक्त/ निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र अध्यक्ष होंगे तथा हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, हथकरघा संगठनों (शीर्ष बुनकर सहकारी सोसायटी या राज्य हथकरघा निगम), अग्रणी निर्यातक, प्रभारी कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र के प्रतिनिधि तथा एसएचजी के समूह (ग्रुप) से एक बुनकर होगा। एसएलपीसी परियोजना प्रस्तावों की जांच करने, कार्रवाई योजना को वैध बनाने, मानीटरिंग, मूल्यांकन इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगी और यह कार्यान्वयन एजेंसी को सिफारिश भी करेगी।

(17) <u>वित्त-पोषण की घटक-वार ऊपरी सीमा</u>

- साझा सेवा केन्द्र सहित साझा सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक
- कौशल उन्नयन को छोड़कर व्यक्तिगत बुनकरों को सीधे लाभान्वित करने वाले हस्तक्षेपों के लिए 70.00 लाख रुपये तक। कार्यशाला के निर्माण के लिए वित्तपोषण 70.00 लाख रुपये के एक तिहाई तक सीमित
- तकनीकी, प्रबंधन क्षेत्रों और आई.टी. में कौशल उन्नयन के लिए 35.00 लाख रुपये तक
- डिजाइनर अनुबंधित करने के लिए 15.00 लाख रुपये तक
- परियोजना प्रबंधन लागत के लिए 15.00 लाख रुपये
- यार्न डिपो के लिए कॉरपस निधि के लिए 5.00 लाख रुपये
- उत्पाद विकास, क्लस्टर क्रियाकलापों के प्रलेखन, कंप्यूटर समर्थित वस्त्र डिजाइन (सीएटीडी) प्रणाली इत्यादि सहित अन्य हस्तक्षेपों के लिए 10.00 लाख रुपये तक।

नोट: संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र में क्लस्टरों के समूह के लिए सीएटीडी उपलब्ध कराई जाएगी ।

कुल: एक ब्लॉक में प्रति क्लस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक।

इसके अलावा, यदि जिला स्तर पर अपेक्षित हो तो एफ्लुएंट शोधन संयंत्र (ईटीपी) सहित डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं :-

क) संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी तथा बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा नोडल अधिकारी नामित करना।

क्लस्टर की कार्यान्वयन एजेंसी तथा संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र, द्वारा क्लस्टर के लिए एक नोडल व्यक्ति के रुप में अपने अधिकारी को नामित किया जाएगा और उनके नाम, पदनाम, मोबाइल सं. तथा ई-मेल पता प्रदान किया जाएगा।

ख) कार्यान्वयन के लिए सहायता/निर्देश

कार्यान्वयन एजेंसी को बुनकर सेवा केन्द्र/राज्य हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय /स्वतंत्र एजेंसी/मेंटर के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन में समय-समय पर सहायता/निर्देश दिए जाएंगे।

ग) आधारभूत सर्वेक्षण

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक हथकरघा बुनकर के उत्पाद प्रोफाइल, परिवार एवं आर्थिक प्रोफाइल के संदर्भ में आधारभूत ब्यौरा प्राप्त करने के लिए संबंधित ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर का आधारभूत सर्वेक्षण किया जाएगा जिसे तीसरी हथकरघा संगणना में अद्यतन करके शामिल किया जाएगा। इसे एक्सल फार्मेट में कंप्यूट्रीकृत किया जाएगा जिसे विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा उपयुक्त साफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से सृजित डाटाबेस से ईसीएस के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करने में सुविधा मिलेगी।

घ) कंप्यूटर समर्थित वस्त्र डिजाइन (सीएटीडी) प्रणाली की खरीद

नए डिजाइनों के विकास के लिए ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर के लिए सीएटीडी उपलब्ध कराई गई है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरों के लिए एकल सीएटीडी प्रणाली की खरीद की अनुमति दी गई है जिसे संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र के परिसर में संस्थापित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए इस कार्यालय द्वारा जारी धनराशि उपयुक्त सीएटीडी की खरीद के लिए संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र को अंतरित की जाएगी जो इससे बुनकरों को नए डिजाइन उपलब्ध कराएगा।

ड.) कौशल उनन्यन कार्यक्रम

कार्यान्वयन एजेंसी डिजाइन, रंगाई एवं बुनाई जैसे तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र को संबंधित ब्लॉक में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि जारी करेगी। यदि किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है तो कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्रशिक्षण के बैच में 25 प्रशिक्षणार्थी होंगे और प्रशिक्षण की अवधि 30 दिनों की होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण की लागत का ब्यौरा अनुबंध-। में है।

प्रशिक्षण के लिए किसी विशेष आवश्यकता पर भी विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

च) <u>प्रौद्योगिकी उन्नयन</u>

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लाभ केवल प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही प्रदान किए जाएंगे और सबसे पहले ऐसे बुनकरों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है और उसके बाद शेष ऐसे जरुरतमंद बुनकरों को प्रदान किए जाएंगे जिनके पास अपेक्षित कौशल है और वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है।

बुनकरों को प्रत्यक्ष रुप से लाभ प्रदान करने के लिए बुनकरों के बैंक खाते में ईसीएस के माध्यम से, अधिमानत: आधारकार्ड को लिंक करके धनराशि जारी की जाएगी। धनराशि जारी करने से पूर्व कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थी से यह वचनपत्र लिया जाएगा कि वह बैंक खाते में धनराशि अंतरित होने की तारीख से दो माह की अवधि में उन्हीं वस्तुओं की खरीद करेगा/करेगी जिनके लिए धनराशि प्रदान की गई है और इसकी लिखित में पुष्टि कार्यान्वयन एजेंसी को भी की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अपेक्षित वस्तु की लागत का 10% लाभार्थी अंश धनराशि जारी करने से पूर्व संबंधित बैंक खाते में उसके द्वारा जमा करा दिया गया है। लाभार्थी द्वारा करघों/पुर्जों, लाइटिंग यूनिटों इत्यादि की खरीद के लिए संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा राज्य हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय के सहयोग से बुनकरों को पूर्व सूचना देते हुए उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं का एक शिविर आयोजित किया जाएगा ताकि बुनकर अपेक्षित वस्तुएं खरीद सकें।

<u>छ)वर्कशेड का निर्माण</u>

वर्कशेड के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि धनराशि इंदिरा विकास योजना की पद्धति के अनुसार दो किस्तों में बुनकर के आधार खाते को लिंक करते हुए सीधे उसके बैंक खाते में अंतरित कर दी गई है। पहली किस्त की धनराशि का संतोषजनक उपयोग होने और संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा वास्तविक निरीक्षण किए जाने पर दूसरी किस्त जारी की जाएगी।

<u>ज) वस्त्र डिजाइनर-सह-विपणन कार्यकारी की नियुक्ति</u>

कार्यान्वयन एजेंसी अनुबंध- ।। में दिए गए विज्ञापन एवं शर्तों के मानक प्रारुप के अनुसार वस्त्र डिजाइनर-सह-विपणन कार्यकारी की नियुक्ति करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी और उनकी छानबीन करेगी। कार्यान्वयन एजेंसी को बिना कोई कारण बताए आवेदनों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा अथवा वह जरुरत पड़ने पर कोई भी अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण की मांग कर सकती है।

इसका चयन राज्य के हथकरघा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें उपर्युक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र, क्लस्टर और निफ्ट/आईआईएचटी आदि जैसी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति का निर्णय अंतिम और सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होगा। डिज़ाइनरों का पैनल तैयार किया जाएगा ताकि जरुरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

चयन के उपरांत कार्यान्वयन एजेंसी वस्त्र डिजाइनर-सह- विपणन कार्यकारी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगी जिसमें परियोजना को समय पर कार्यान्वित/पूरा करने के लिए परियोजना के डिलीवरेबल का उल्लेख किया जाएगा। डिजाइनर के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और निगरानी संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार, निफ्ट, एनएचडीसी, राज्य हथकरघा निगम/शीर्ष सोसाइटी के प्रतिनिधि और अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य सदस्य शामिल होगा। डिजाइनर का कार्य निष्पादन संतोषजनक न पाए जाने पर कार्यान्वयन एजेंसी की सेवाएं समिति की सिफारिश पर बंद कर दी जाएगी।

झ) साझा सेवा केन्द्र (सीएससी) सहित साझा सुविधा केन्द्र(सीएफसी) की स्थापना

एक ब्लॉक में सीएससी सहित सीएफसी की स्थापना की जाएगी जिसमें भूमि की लागत को छोड़कर सभी करों सहित 50.00 लाख रुपये की अधिकतम अनुमानित लागत से प्रशासनिक कार्यालय सहित करीब 3000 वर्गफुट का क्षेत्र, इंटरनेट सुविधा, सुविधा कक्ष, यार्न गोदाम इत्यादि होगा। परियोजना का विस्तृत लागत ब्यौरा और प्लान लेआउट अनुबंध- ।।। में दिया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा भूमि की व्यवस्था की जानी है।

सीएफसी की स्थापना के लिए निर्माण एजेंसी या तो कोई केन्द्रीय सरकारी एजेंसी, राज्य एजेंसी होगी या बोली के माध्यम से चयनित कोई सक्षम एजेंसी होगी। कार्यान्वयन एजेंसी की सिफारिश के आधार पर संबंधित राज्य निदेशक (हथकरघा) द्वारा एजेंसी को अंतिम रुप दिया जाएगा। यदि हथकरघा सहकारिताओं इत्यादि का निर्मित भवन तत्काल उपलब्ध है तो उसे इस प्रयोजन के लिए लंबे पट्टे पर लिया जाएगा।

सीएससी की स्थापना से पूर्व कार्यान्वयन एजेंसी इंटरनेट कनेक्शन और विद्युतआपूर्ति सुनिश्चित करेगी ताकि निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा सके।

सरकार से नागरिक (जी 2सी) सेवाएं	कारोबार से क्लस्टर (बी2सी) सेवाएं
1. वित्तीय समावेशन: बैंकिंग, बीमा और एनपीएस (पीएफआरडीए)	1. मोबाइल/डाटा कार्ड रिचार्ज
2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) सेवाएं	2. डीटीएच रिचार्ज
3. शिक्षा एनआईईएलआईटी/एनआईओएस/एनडीएलएम	3. सीएससी क्राफ्ट-ई-कॉमर्स/शॉर्पिंग सर्विस
4. भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) सेवाएं	4. मोबाइल बिल भुगतान
5. पासपोर्ट सेवाएं	5. मनोरंजन
6. पैन कार्ड सेवाएं	6. ई-लर्निंग
7. कृषि सेवाएं	7. आईआरसीटीसी एवं बस टिकटिंग
8. स्वास्थ्य सेवाएं	8. बिल भुगतान-बिजली व पानी के बिल
9. राज्य जी2सी सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट – एसएसडीजी/एमएमपी आदि	9. ई-लर्निंग
	10. बीमा पॉलिसी और नवीकरण

- ई-कामर्स
- डिजाइनों और रंग प्रवृत्तियों इत्यादि के बारे में जानकारी लेने के लिए वस्त्र संबंधी वेबसाइटों की सुलभता।

सीएससी सहित सीएफसी की स्थापना के लिए डीपीआर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय को भेजी जाएगी। डीपीआर में सीएफसी का औचित्य, भूमि/भवन की उपलब्धता, स्थान, भूमि/निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता , निर्माण की लॉगत, लगाई जाने वाली मशीनों की संख्या सहित विवरण, प्रत्येक की क्षमता और लागत, परियोजना के डिलीवरेबल इत्यादि शामिल होंगे। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा डीपीआर का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी।

ञ) जिला स्तर पर डाई हाउस की स्थापना

कार्यान्वयन एजेंसी जिले में कहीं भी 50.00 लाख रुपये प्रति डाई हाउस की अधिकतम लागत से एक डाई हाउस स्थापित करने के लिए पात्र है। भूमि की व्यवस्था कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जानी है। डाई हाउस स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी डाई हाउस स्थापित करने के औचित्य, भूमि/भवन की उपलब्धता, स्थान, भूमि/निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता, निर्माण की लागत, लगाई जाने वाली मशीनों की संख्या सहित विवरण, प्रत्येक की क्षमता और लागत, डाईंग की दैनिक क्षमता (किलोग्राम में), परियोजना के डिलीवरेबल, रंगे जाने वाले यार्न इत्यादि, यार्न की प्रति किलोग्राम रंगाई की अनुमानित लागत की तुलना में बाजार की दरों का ब्यौरा देते हुए डीपीआर प्रस्तुत करेगी। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा डीपीआर का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी।

ट) परियोजना प्रबंधन लागत (सीडीई की नियुक्ति)

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पूर्णकालिक क्लस्टर विकास कार्यकारी की नियुक्ति की जाएगी जो हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएचटी) धारक और वरीयतन उसे दो वर्षों के कार्य का अनुभव होना चाहिए । आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 15 दिन की नोटिस अवधि के साथ समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित एक समिति जिसमें संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी सदस्य होंगे, द्वारा अभ्यार्थी की शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, निवास इत्यादि के आधार पर सीडीई का चयन किया जाएगा। सीडीई क्लस्टर के सीएफसी सहित सभी क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा एक सुरक्षा-सह-सहायक, जो वरीयतन भूतपूर्व सैनिक हो, को नियुक्त किया जाएगा जो लेखाओं इत्यादि के रख रखाव के लिए कंप्यूटर का ज्ञाता होना चाहिए। परियोजना प्रबंधन लागत में कार्यालय के किराए, स्टेशनरी, काल प्रभार, कार्यालय के विद्युत बिल इत्यादि जैसी विभिन्न आवर्ती लागतें शामिल होंगी।

ठ) दस्तावेजीकरण

कार्यान्वयन एजेंसी क्लस्टर में किए गए सभी क्रिया कलापों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करेगी ताकि वे सभी भावी संदर्भों के लिए एक संदर्भ के रुप में कार्य कर सके। इसमें उत्पादों और उनके विनिर्देशन अर्थात यार्न का काऊंट एफपीआई/पीपीआई,लंबाई/चौड़ाई इत्यादि का दस्तावेजीकरण भी शामिल होगा, जिससे "इंडिया हैंडलूम" ब्रांड के लिए व्यक्तियों/एजेंसी के पंजीकरण में सुविधा होगी। ये दस्तावेजीकरण क्लस्टर पूर्व और पश्चात के परिदृश्य को शामिल करने के लिए सीडी/डीवीडी, हार्ड कापी, डिजीटल फोटो इत्यादि के रुप में होगा।